INDEX

(RTI Queries & Responses of IT division – First Quarter of 2016-17

(1st April, 2016 to 30th June, 2016)

S.No.	Name of the Applicant	Page No.
1.	Shri Rajshekhar Yadav [ONLINE]	2-5

ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.DOTEL/R/2016/80143/2					
icant Name	Rajshekhar Yadav				
of Application	Request transferred u/s 6(3) of the RTI Act, 2005. He has asked to approach the concerned Public Authorities directly for the queries of attachment.				
y of Application	The information pertaining to IT division is attached.				
Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks		
RTI REQUEST RECEIVED	30/03/2016	Nodal Officer	DOTEL/R/2016/80143		
REQUEST FORWARDED TO CPIO	30/03/2016	Nodal Officer	Forwarded to CPIO(s) :		
REQUEST DISPOSED OF	26/04/2016	Vinai Kanaujia, Dir(IT-V)- (CPIO)			
	icant Name of Application y of Application Action Taken RTI REQUEST RECEIVED REQUEST FORWARDED TO CPIO REQUEST DISPOSED	icant Name Rajshekhar Yad of Application Request transfe approach the ca attachment. y of Application The information Action Taken Date of Action RTI REQUEST RECEIVED 30/03/2016 REQUEST FORWARDED TO CPIO 26/04/2016	icant Name Rajshekhar Yadav of Application Request transferred u/s 6(3) of approach the concerned Public attachment. y of Application The information pertaining to T Action Taken Date of Action Taken By RTI REQUEST RECEIVED 30/03/2016 Nodal Officer REQUEST FORWARDED TO CPIO 26/04/2016 Vinai Kanaujia, Dir(IT-V)-		

आदरणीय ,

मुझे मेरे सवालो के जबाब हिंदी और ऑनलाइन चाहिए | मैं अपने सवाल में उदहारण भी दूंगा आपको अपने प्रश्न को समझने में | कृपया करके मेरे दिए बिन्दुओ को पड़े और सही जानकारी प्रदान करें | कृपया करके जानकारी अपने कार्यालय में ऑनलाइन ही दे | यदि आप लोग जानकारी नहीं दे सकते कारण के साथ बताये |

१) वरिष्ट नागरिको की उम्र की सीमा क्या है । कौन से विभाग उसे नहीं अपनाते । कृपया करके जानकारी प्रदान करे ।

MTNL और BSNL ने अपने उत्पादों के लिए वरिष्ट नागरिको की क्या सीमा रखी है |

3) BSNL में दूरभाष के नाम को कैसे बदला जा सकता है | उसके लिए कौन से फॉर्म का उपयोग होता है | क्या कोई ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है जानकारी दे |

४) कितने लोगो ने दूरभाष के नाम बदलने के लिए आवेदन दिया दिसंबर 2015 से अब तक | मुझे सूची चाहिए राज्यों के अनुसार और कितने दिनों में यह कार्य कर लिया गया |

अाप के वेबसाइट पर अधिकारियों की जानकारी किंतने दिनों में बदली जाती है ।

६) हिंदी और अंग्रेजी की वेबसाइट में क्या असमानता है उसका करना सहित जानकारी दे ।

७) ऑनलाइन शिंकायत का क्या माद्यम है और उसी शिंकायत की सही समाधान न मिलने पर कहा पर स्नवाई के लिए भेजा जा सकता है ।

८) मछली शहर दूरभाष केंद्र में सूचना और शिंकायत पटल का सांकेतिक परिदृश्य बताये या मुझे चिंत्रण के जरिये जानकारी कैसे मिलेगी बताये ।

९) आप के मछलीशहर में CCTV लगा है की नहीं । आप लोग दूरभाष केंद्र की निगरानी कैसे करते है ।

१०) मछलीशहर दूरभाष केंद्र के कार्यालय का समय क्या है । उन समय में क्या -२ किया जा सकता है उसका विवरण दे । ११) मछलीशहर दूरआष केंद्र से बील की प्राप्ति कैसे की जा सकती है | उदहारण :- क्योंकि हमें बिल न तो डाक से मिलती है न ही केंद्र से |

१२) आप लोग डिजिटल इण्डिया या तकनीकि भारत को अपनाते है की नहीं जानकारी दे |

१३) मेरे द्वारा मांगे गए सूचना को आप लोग ऑनलाइन देंगे की नहीं जानकारी प्रदान करे |

आप लोग तकनीकि भारत और अच्छे विभाग का परिचय देते हुए सारे कार्य ऑनलाइन ही करेंगे यदि नहीं कर सकते तो उसका कारण अस्पष्ट करेंगे । आशा है आप लोग हमें सहयोग करेंगे जानकारी प्रदान करने में ।

Rycolar

दूरसंचार विभाग के आई टी सैल से संबन्धित सूचना, बिन्दु-वार, निम्नानुसार है:-

(5) दूरसंचार विभाग की वैबसाइट (<u>www.dot.gov.in</u>) के संबंध में सामग्री का अभिरक्षक (कस्टोडिंयन) दूरसंचार विभाग की संबन्धित शाखा / विभाग का अध्यक्ष होता है और वैबसाइट की सामग्री को या तो सीधे ही अभिरक्षक द्वारा अथवा सामग्री जब और जैसे अभिरक्षक से प्राप्त हो तब दूरसंचार विभाग के आई टी सैल द्वारा अदयतन की जाती है।

(6) यहाँ यह उल्लेख करना है कि सीपीआईओ को आरटीआई अधिनियम, 2005 के भाग 2(च) के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करनी होती है जो अभी तक उपलब्ध हो और जो ठोस रूप मे सरकारी प्राधिकारी के पास हो। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीपीआईओ सूचना का सृजन नहीं करता; अथवा सूचना कि व्याख्या नहीं करता; अथवा आवेदक द्वारा रखी गयी समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करता अथवा ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता जो संपृष्टि/स्पष्टीकरण/औचिंत्य सिंद्ध करने कि प्रकृति के हों।

तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि दूरसंचार विभाग की वैबसाइट सभी की सुलभ पहुँच के लिए वेबर्लिक <u>http://www.dot.gov.in</u> पर उपलब्ध है।

(12) यहाँ यह उल्लेख करना है कि सीपीआईओ को आरटीआई अधिनियम, 2005 के भाग 2(च) के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करनी होती है जो अभी तक उपलब्ध हो और जो ठोस रूप मे सरकारी प्राधिकारी के पास हो। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीपीआईओ सूचना का सृजन नहीं करता; अथवा सूचना कि व्याख्या नहीं करता; अथवा आवेदक द्वारा रखी गयी समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करता अथवा ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता जो संपृष्टि/स्पष्टीकरण/औचिंत्य सिंद्ध करने कि प्रकृति के हों।

तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि दूरसंचार विभाग का आई टी सैल, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आई टी सैल से संबन्धित मदों पर आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

(13) ऑनलाइन सूचना मांगने पर, दूरसंचार विभाग का आई टी सैल, ऑनलाइन सूचना ही प्रदान करता है।